चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2).आज दिनांक 01.07.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना की टीम 1.निरीक्षक श्री नरेश कुमार प्रजापति,कम्प्यूटर ऑपरेटर श्याम लाल गुप्ता,आरक्षी रामविलास यादव एवं आरक्षी शिवम द्विवेदी द्वारा सेंन्ट थामस पब्लिक स्कूल बेडी पुलिया, कर्वी, चित्रकूट में साइबर अपराध से बचाव हेतु जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें उपस्थित छात्र/छात्राओं को साइबर अपराध से बचाव हेतु जानकारी दी गयी। इसी क्रम में जनपद के समस्त थानों की साइबर टीम द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में साइबर जागरूकता कार्यक्रम किया गया।

- किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना अकाउंट विवरण व एटीएम कार्ड नम्बर व पिन नम्बर सी0वी0वी0 तथा ओटीपी नम्बर न बताये।
- एटीएम हमेशा अकेले प्रयोग करे व किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें।
- डिजिटल अरेस्ट के सम्बन्ध में जागरुक किया गया।
- अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को फोन,ई-मेल,एस0एम0एस0, फेसबुक,व्हाट्सएप पर कभी भी न दें।
- बोनस प्वाइंट,रिवार्ड प्वाइंट, दीपावली ऑफर, कैशबैक,के0बी0सी0 आदि लुभावने ऑफर के लालच में अपना बैंक डिटेल फोन पर शेयर न करें।
- किसी प्रकार का रिमोट एप्स जैसे टीमविवर,ऐनी डेक्स आदि किसी के कहने पर मोबाइल में इनस्टॉल न करें।
- टेलीग्राम के माध्यम से विभिन्न ग्रुप में ट्रेडिंग के लिये लिंक के माध्यम से भेजे गये ऐप को डाउनलोड कर गेमिंग के माध्यम से पैसे इन्वेस्ट कर लाभ कमाने जैसे फ्राड के बारे में जागरुक किया गया।
- कम समय में पैसा डबल करने,क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर ज्यादा रिटर्न मिलने जैसे लुभावने स्कीम के लालच में न आयें।
- फेसबुक,इस्टाग्राम,ब्लॉग,ट्विटर चैट रूम आदि जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म सोशल नेटवर्किंग साइटस पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता,फोन नम्बर,जन्मतिथि और जन्म स्थान आदि तथा वर्तमान लोकेशन कभी भी शेयर न करें।
- पुलिस/साइबर अधिकारी के नाम की काल आने पर आपके बच्चे के द्वारा बलात्कार,किडनैपिंग का केस बता कर या आपके द्वारा पोर्न विडियों देखने का आरोप लगाकर आपसे पैसे की मांग की जाये तो बिलकुल न घबराये, और न ही कोई पैसे भेजें।
- साइबर अपराध की घटना होने पर टोल फ्री नं0 1930 पर तुरन्त कॉल करें। इसके पश्चात नजदीकी पुलिस स्टेशन और www.cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट करने हेतु बताया गया।

(3).आज दिनांक 1 जुलाई 2026 को जनपद चित्रकूट में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कानूनों के प्रभावी अनुपालन तथा तम्बाकू मुक्त समाज के निर्माण के उद्देश्य से जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, चित्रकूट एवं पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वावधान तथा उत्तर प्रदेश वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ के सहयोग से स्टेकहोल्डर एवं लॉ-एनफोर्सर्स संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार (राघव प्रेक्षागार), चित्रकूट में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री अरूण कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक द्वारा फीता काटकर माता सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया गया तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (ब्ब्ज्च्।.2003द्ध च्म्ब्।-2019, ज्व्थ्म्प् (ज्वइंबबव थ्तमम म्कनबंजपवदंस प्देजपजनजपवद) तथा तम्बाकू मुक्त ग्राम

पंचायत/तम्बाकू मुक्त ग्राम की अवधारणा को जनपद में प्रभावी रूप से लागू करना तथा विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना था।

पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया कि जनपद में -2003 का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध, शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक, अवैध विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई तथा नियमित प्रवर्तन अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तम्बाकू नियंत्रण केवल स्वास्थ्य विभाग का विषय नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग एवं सभी विभागों की साझा जिम्मेदारी है।

कार्यक्रम के तकनीकी सत्र में श्री विवेक अवस्थी, अधिशाषी निदेशक, उत्तर प्रदेश वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ ने ब्व्ज्च्। अधिनियम की धारा 4, 5, 6अ, 6ब, 7 एवं च्म्ब्।-2019, ज्व्थ्म्प् तथा तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित कानूनी प्रावधानों एवं प्रवर्तन की कार्यप्रणाली पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि कानूनों का प्रभावी अनुपालन ही युवाओं को तम्बाकू की लत से बचाने एवं समाज को स्वस्थ बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है।

डा0 महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि तम्बाकू सेवन आज एक गम्भीर जनस्वास्थ्य चुनौती है, जिससे प्रति वर्ष लाखों लोगों की असमय मृत्यु होती हैा उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों से अपील करते हुये कहा कि ब्व्ज्च्।.2003ए च्म्ब्।-2019 के प्राविधानों का दृ ढता एवं संवेदनशीलता के साथ अनुपालन सुनिश्चित करायें। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग के समन्वय प्रयासों से ही जनपद को तम्बाकू मुक्त बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

डा0 संतोष कुमार, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ ने अपने संबोधन में कहा कि तम्बाकू नियंत्रण कानूनों का सफल क्रियान्वयन तभी संभव है जब स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, प्रशासन एवं अन्य संबंधित विभाग समन्वित रूप से कार्य करें। साथ ही कहा कि इससे होने वाली बीमारी नपुंसकता, कैंसर, हृदय रोग, श्वसन संबंधी बीमारियों सहित अन्य गंभीर स्वास्थ्य दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए तम्बाकू छोड़ने हेतु उपलब्ध परामर्श एवं उपचार सेवाओं के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराया। उन्होंने सभी हितधारकों से जनजागरूकता एवं कानून प्रवर्तन को प्राथमिकता देने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, क्षेत्राधिकारीगण, थाना प्रभारियों, कानून प्रवर्तन अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, चिकित्सा अधिकारियों एवं अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों ने सक्रिय सहभागिता की तथा जनपद को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए शपथ हस्ताक्षर अभियान करते हुये समन्वितं प्रभावी कार्रवाई का संकल्प लिया।

(4).आज दिनांक 01.07.2026 को माह के प्रथम बुधवार के अवसर पर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष कान्त राय के पर्यवेक्षण में जनपद चित्रकूट के समस्त थाना क्षेत्रों में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान थाना प्रभारियों एवं साइबर टीमों द्वारा विद्यालयों, महाविद्यालयों, सार्वजनिक स्थानों, बाजारों तथा अन्य प्रमुख स्थलों पर छात्र-छात्राओं एवं आम नागरिकों को साइबर अपराधों के विभिन्न तरीकों तथा उनसे बचाव के उपायों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही लोगों से सतर्क एवं जागरूक रहकर सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने की अपील की गई।

जागरूकता कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी प्रदान की गई—

(i)किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपना बैंक खाता विवरण, एटीएम/डेबिट कार्ड नंबर, पिन, सीवीवी अथवा ओटीपी साझा न करें।

(ii)एटीएम का उपयोग हमेशा स्वयं करें तथा किसी अजनबी की सहायता न लें।

(iii)डिजिटल अरेस्ट जैसी साइबर ठगी के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया कि पुलिस, सीबीआई, ईडी
(iv)अथवा अन्य कोई सरकारी एजेंसी वीडियो कॉल या फोन पर डिजिटल अरेस्ट नहीं करती और न ही धनराशि की मांग करती है।

(v)अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आधार संख्या, बैंक विवरण, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी आदि किसी अनजान व्यक्ति को फोन, ई-मेल, एसएमएस, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के माध्यम से साझा न करें।

(vi)बोनस प्वाइंट, रिवॉर्ड प्वाइंट, कैशबैक, केबीसी लॉटरी, त्योहारों के ऑफर अथवा अन्य आकर्षक योजनाओं के नाम पर आने वाले कॉल या संदेशों के झांसे में न आएं।

(vii)किसी के कहने पर TeamViewer, AnyDesk अथवा अन्य किसी रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल या कंप्यूटर में इंस्टॉल न करें।

(viii)टेलीग्राम, व्हाट्सएप अथवा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग, गेमिंग, ऑनलाइन टास्क, पार्ट-टाइम जॉब या निवेश के नाम पर भेजे गए लिंक एवं ऐप डाउनलोड न करें तथा इनमें धन निवेश करने से बचें।

(ix)कम समय में धन दोगुना करने, क्रिप्टोकरेंसी में अत्यधिक लाभ दिलाने अथवा अधिक रिटर्न का लालच देने वाली योजनाओं से सावधान रहें।

(x).फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), ब्लॉग, चैट रूम एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी निजी जानकारी, घर का पता, फोन नंबर, जन्मतिथि, वर्तमान लोकेशन आदि सार्वजनिक रूप से साझा न करें।

(xi).यदि कोई व्यक्ति स्वयं को पुलिस, साइबर अधिकारी, सीबीआई, ईडी अथवा अन्य सरकारी अधिकारी बताकर आपके बच्चे के विरुद्ध बलात्कार, अपहरण या किसी अन्य गंभीर अपराध का झूठा आरोप लगाकर अथवा आपके विरुद्ध अश्लील वीडियो देखने का आरोप लगाकर धन की मांग करे, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं और किसी भी स्थिति में धनराशि न भेजें। पहले तथ्यों का सत्यापन करें तथा तत्काल स्थानीय पुलिस से संपर्क करें।

किसी भी प्रकार की साइबर ठगी या साइबर अपराध की घटना होने पर तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें तथा www.cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। साथ ही निकटतम पुलिस थाने में भी तत्काल सूचना दें।

चित्रकूट पुलिस ने आमजन से अपील की है कि साइबर अपराधियों द्वारा अपनाए जा रहे नए-नए तरीकों से सतर्क रहें, किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक, संदेश या ऑनलाइन ऑफर पर बिना सत्यापन विश्वास न करें तथा स्वयं जागरूक रहते हुए अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करें।